

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

145

आदेश

भोपाल दिनांक 01.11.2009

1422

क्रमांक/आर 570/2009/3-38 : भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के पत्र क्रमांक 01-32/2006/यू/II/यू-1 (1) दिनांक 31 दिसम्बर 2008 तथा 04 जून 2009 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दि. 28 फरवरी 2009 के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, कुल सचिव, शिक्षकों, ग्रन्थपालों तथा कीडा अधिकारी को दिनांक 01.01.2006 से निम्नानुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करता है :-

क्र.	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
01	सहायक प्राध्यापक	रु. 8000-125-13500	रु.15600-39100 +एजीपी 6,000
02	सहायक प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान	रु. 10,000-325-15200	रु. 15600-39100 +एजीपी 7,000
03	सहायक प्राध्यापक /रीडर प्रवर श्रेणी वेतनमान (5 वर्ष से कम सेवा)	रु. 12000-420-18300	रु.15600-39100 +एजीपी 8,000
04	असोसियेट प्रोफेसर (5 वर्ष से अधिक सेवा)	-	रु. 37400-67000 +एजीपी 9,000
05	प्रोफेसर	रु. 16400-450-20000-500-22400	रु.37400-67000 +एजीपी 10,000
06	असिस्टेंट डायरेक्टर	रु. 8000-125-13500	रु.15600-39100 +एजीपी 6,000
07	असिस्टेंट डायरेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	रु. 10,000-325-15200	रु. 15600-39100 +एजीपी 7,000
08	डिप्टी डायरेक्टर प्रवर श्रेणी वेतनमान (5 वर्ष से कम सेवा)	रु. 12000-420-18300	रु.15600-39100 +एजीपी 8,000
09	डिप्टी डायरेक्टर प्रवर श्रेणी वेतनमान (5 वर्ष से अधिक सेवा)	रु. 12000-420-18300	रु. 37400-67000 +एजीपी 9,000
	डायरेक्टर प्रवर श्रेणी वेतनमान	रु. 12000-420-18300	रु. 37400-67000+एजीपी 10,000
10	सहायक ग्रन्थपाल	रु. 8000-125-13500	रु.15600-39100 +एजीपी 6,000
11	सहायक ग्रन्थपाल वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	रु. 10,000-325-15200	रु. 15600-39100 +एजीपी 7,000
12	उप ग्रन्थपाल प्रवर श्रेणी वेतनमान (5 वर्ष से कम सेवा)	रु. 12000-420-18300	रु.15600-39100 +एजीपी 8,000
13	उप ग्रन्थपाल प्रवर श्रेणी वेतनमान (5 वर्ष से अधिक सेवा)	रु. 12000-420-18300	रु. 37400-67000 +एजीपी 9,000
	ग्रन्थपाल प्रवर श्रेणी वेतनमान	रु. 12000-420-18300	रु. 37400-67000 +एजीपी 10,000
14	कुल सचिव	रु. 16400-450-20900-500-22400	रु. 37000-67000+एजीपी 10,000
15	कुलपति	रु. 25000 निश्चित वेतन	रु. 75,000 निश्चित वेतन

*[Handwritten signature]*

राज्य शासन से ब्लाक ग्रांट प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ दि. 01.01.2006 से दिया जायेगा।

2. छठवां वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप आने वाले दिल्ली भारत के लिए शासन द्वारा कोई अतिरिक्त ग्रांट नहीं दी जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाये अथवा स्वीकृत पदों में कमी कर संसाधनों की उपलब्धता के अन्तर का समायोजन करें।

3. वेतन नियतन के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का भुगतान दिनांक 01.09.2008 के वेतन जो अक्टूबर 2008 में देय होता है, से नगद दिया जावेगा। दिनांक 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवशेष राशि (एरिएस) के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. वेतन निर्धारण, वेतन निर्धारण प्रपत्र, वेतन वृद्धि, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, विकल्प का प्रारूप आदि से संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे।

यह सहमति वित्त विभाग के सी.आर. क. 752/iv/बी-3, दि. 20.11.09 द्वारा प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( वीणा तैलंग )  
उप सचिव

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

1423

प. क/आर 570/2009/3-38

भोपाल दिनांक 18.12.2009

1. सचिव, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, सी विंग, नई दिल्ली को सूचनार्थ अग्रोषित।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग।
3. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा।
7. आयुक्त, (कोष एवं लेखा) उच्च शिक्षा भोपाल।
8. समस्त अतिरिक्त संचालक/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म. प्र.।
9. समस्त कोषालय अधिकारी म. प्र.।
10. कुल सचिव, जीवाजी वि वि ग्वालियर / रानी दुर्गावती वि वि जबलपुर / अवधेश प्रताप सिंह वि वि रीवा / विक्रम विवि उज्जैन / बरकतउल्ला वि वि भोपाल / देवी अहिल्या वि वि इन्दौर विश्वविद्यालय म.प्र.।
11. सयुक्त संचालक जनसम्पर्क म. प्र. भोपाल।
- ✓ 12. प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष, संचालनालय, उच्च शिक्षा भोपाल विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

( वीणा तैलंग )  
उप सचिव

म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग